कार्यालयः– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा (राज.)

क्रमांकः 36 दिनांकः 28-6-23

//रिमाण्ड ड्यूटी बाबत् कार्यालय आदेश//

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **मुझ स्नेहा जाखड़ आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा** द्वारा **माह–जुलाई, 2023** में पडने वाले अवकाशों के दिन दौसा जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी कार्य(जैसे कि न्यायिक अभिरक्षा, रिमाण्ड, पुलिस अभिरक्षा, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन, जमानत प्रार्थना–पत्र एवं अन्य आवश्यक कार्य) की सुनवाई हेतु निम्न पीठासीन अधिकारीगण को अधिकृत किया जाता हैः–

क्र.सं.	नाम न्यायिक अधिकारी	पदनाम	दिनांक
01	निधि शर्मा	न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई जिला–दौसा	02.07.2023
02	रूपल अग्रवाल	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिकराय जिला–दौसा	08.07.2023
03	श्री गजपाल सिंह	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–02 दौसा	09.07.2023
04	रेखा तिवाडी	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, दौसा	16.07.2023
05	पुनीत सोनगरा	प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, दौसा	22.07.2013 23.07.2023
06	मनोज कुमार	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा दौसा	29.07.2023 30.07.2023

* माह जुलाई, 2023 में पड़ने वाले सभी राजकीय अवकाशों में प्रोटोकॉल का कार्य करने के लिए ईशा सांघी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा को अधिकृत किया जाता है। यदि किसी कारणवश ईशा सांघी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा प्रोटोकॉल कार्य करने हेतु असमर्थ रहती हैं तो इस सम्बन्ध में पूर्व में लिखित सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा को देंगे। ईशा सांघी आर.जे.एस. की अनुपस्थिति में श्री गजपाल सिंह अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–02 दौसा तथा इनकी अनुपस्थिति में पुनीत सोनगरा,प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, दौसा प्रोटोकॉल का कार्य सम्पादित करेंगी। सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी इस कार्यालय से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही मुख्यालय परित्याग करेंगे।*

निर्देशः–01– अवकाश के दिन न्यायालय में बैठने का समय 11.30 ए.एम. से 02.00 पी.एम. तक रहेगा। कोविड–19 संबंधी समस्त गाइड लाइन की पालना कर्तव्य निष्पादन में सुनिश्चित की जावेगी।

02–विशेष परिस्थितियों में मुलजिम को निवास पर पेश करते समय निवास स्थान में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे तथा मुलजिम को पेश करने वाला अधिकारी सम्बन्धित रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार कार्यवाही करें।

Scanned with CamScanner

03–अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिवस के कार्यालय समय पश्चात् से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।

04–यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के ठीक पश्चातवर्ती दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व निर्धारित दिवस के लिए नियत किये गये थे।

05–नियत किये गये दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को ड्यूटी करने में असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की लिखित सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा इस कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करेंगे।

–एसडी–

(स्नेहा जाखड़)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

दौसा, जिला–दौसा (राज.)

क्रमांकः– 1149 **दिनांकः–** 28-6-23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

01– माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, दौसा

02– श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, दौसा वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र

03– सम्बन्धित अधिकारी सर्व श्री ....

04– प्रोटोकॉल अधिकारी, जिला न्यायालय दौसा

05– लोक अभियोजक, जिला न्यायालय दौसा

06– अध्यक्ष/सचिव बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर दौसा

07– सहायक निदेशक, अभियोजन विभाग दौसा

08– प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम दौसा

09– जिला कारागृह दौसा

10– सिस्टम ऑफीसर जिला न्यायालय दौसा सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालय को मेल करें तथा जिला न्यायालय दौसा की बेवसाईट पर इस आदेश को अपलोड करे।

11– आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड

Sneh

(स्नेहा जाखड़)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

दौसा, जिला–दौसा (राज.)

Scanned with CamScanner